**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.03.2025**

**थाना मसूरी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे घायल अवस्था में गिरफ्तार**

आज दिनांक 027/03/25 को थाना मसूरी पुलिस टीम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अंडरपास के नीचे चेकिंग कर रहे थे तभी एक बाइक पर दो सवार व्यक्ति कल्लू गढ़ी की तरफ से आते हुए दिखाई दिए जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके ओर बाइक पीछे मुड़ाकर ग्राम नाहल की तरफ तेजी से भागने लगे इसी दौरान उनकी बाइक फिसल गई और उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भाग खड़े हुए पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया पूछने पर इन्होंने अपने नाम शहनवाज उर्फ शादाब पुत्र कयूम निवासी मयूर विहार डासना थाना मसूरी व दूसरे ने अपना नाम इकदाद पुत्र मेहबूब निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर बताया गिरफ्तार दोनों अभियुक गणों पर लूट व चोरी व गैंगस्टर के अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं अभियुक्त गण शातिर लुटेरे हैं
इनके कब्जे से एक चोरी की अपाचे मोटर साइकिल व तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं ।

**बरामदगी का विवरण**

1-एक चोरी की अपाचे बाइक
2- 2 तमंचे 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखे

**अभियुक्त का नाम पता**

1- शहनवाज उर्फ शादाब पुत्र निवासी मयूर विहार डासना थाना मसूरी
2 इकदाद पुत्र मेहबूब निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

थाना मसूरी पुलिस

**थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा आपसी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट / फायरिंग करने वाला 01 ईनामी (25000 रूपये) व 01 अन्य कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल .32 बोर देशी नाजायज, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 स्कार्पियो बरामद।**

दिनांक 22.03.2025 की रात्रि को थाना मधुबन बापुधाम सूचना प्राप्त हुई की ग्राम दुहाई में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में अन्धाधुन्ध फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। दोनो पक्षो के द्वारा फायरिंग किये जाने की सूचना थी। सभी अभियुक्त मौके से फरार हो गये थे।

दिनांक 23.03.2025 को आपसी रंजिश को लेकर आपस में अन्धाधुन्ध फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर दोनो पक्षो के विरुद्ध मु0अ0सं0 -100/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/351(2) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया व उच्चाधिकारी गण द्वारा वांछित अभियुक्तों पर 25000-25000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु थाना मधुबन बापूधाम पर कई टीमो का गठन किया गया। आज दिनांक 28.03.2025 को स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा लोकल इनपुट व लोकल इंटेलिजेन्स के माध्यम से उक्त मुकदमे से सम्बन्धित 02 अभियुक्त (01 अभियुक्त 25000 रूपये का ईनामिया व 01 अन्य) को थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस द्वारा रेलवे फाटक निकट मननधाम मन्दिर से गुलधर की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में भी थाना मधुबन बापूधाम द्वारा उक्त मुकदमे से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्याया0 के समक्ष पेश किया जा चुका है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण**

1. सन्नी त्यागी पुत्र जागेश्वर त्यागी निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष। **(25000 रूपये का ईनामी)**
2. मोनू उर्फ हाण्डा उर्फ अमरवीर पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 पिस्टल .32 बोर देशी नाजायज, 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस ( अभियुक्त सन्नी से )
2. 01 स्कार्पियो

**गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम**

स्वाट टीम नगर जोन व थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

## थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.03.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डे व धारदार हथियार से वादी के पुत्र अलबक्श व उसके साथियों पर हमला करना तथा अलबक्श व साथियों द्वारा विरोध करने पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर करना तथा तलवार से गले पर वार करके वादी के पुत्र अलबक्श की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। उपरोक्त अभियोग में 06 अभियुक्तों 1.निशा किन्नर 2.मुस्कान किन्नर 3.अहसान पुत्र इस्लाम 4. सरताज पुत्र नानू 5. मोफीद अली पुत्र महफूज अली 6. रामानन्द मिश्रा पुत्र सियाराम को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 27.03.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.जुबैर पुत्र स्वइमामुद्दीन निवासी मौ0 गौतमपुरी 0 कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद 2. मौहम्मद

गुलजार उर्फ छोटू पुत्र स्वइमामुद्दीन निवासी मौ0 गौतमपुरी 0 कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण** –

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों किन्नरों के साथ ढोलक बजाने व खाना बनाने का कार्य करते थे। दिनांक 01/03/2025 को मोदीनगर क्षेत्र में मण्डपों में बधाई मांगने को लेकर गुरू किन्नर, निशा किन्नर व पूजा किन्नर में झगड़ा हो गया था। हमने अपने साथियों के साथ मृतक अलबक्श को गोली मार दी थी। हम डर के कारण मौके से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला की अलबक्श की मृत्यु हो गयी है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1. जुबैर पुत्र स्वइमामुद्दीन निवासी मौ0 गौतमपुरी 0 कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

2 . मौहम्मद गुलजार उर्फ छोटू पुत्र स्वइमामुद्दीन निवासी मौ0 गौतमपुरी 0 कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

**थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन चोरी/ छीनौती की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी / छीनैती के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 08 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।**

आज दिनांक 28.03.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दोरान मोबाइल फोन चोरी / छिनैती की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त विकास कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी बी-375 गली नं0 2 राजवीर कॉलोनी घडोली एक्सटेन्शन मयूर विहार फेस-3 दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष को इन्दिरापुरम अंडरपास चौकी क्षेत्र लौधी चौक थाना खोडा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से भिन्न भिन्न कम्पनी के चोरी / छीनैती के 08 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त विकास कुमार के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण**- गिरफ्तार अभियुक्त विकास कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये अभियुक्त विकास कुमार चोरी की मोटर साइकिल से मोबाइल फोन चोरी / छीनैती की घटनाओं को अंजाम देता है। अभियुक्त से बरामद उक्त मोटर साइकिल को करीब एक महिने पहले आनंद विहार से दिलशाद गार्डन रोड पर सूरज नगर फ्लाईओवर दिल्ली के पास से चोरी किया था। इसी मोटर साइकिल से अभियुक्त विकास मोबाइल फोन चोरी व छीनैती की घटना कारित करता है। अभियुक्त से बरामद मोबाइल फोन चोरी व छीनैती के है। आज दिनांक 28.03.2025 को अभियुक्त चोरी की मोटर साइकिल से फोन छीन्ने की तलाश में इन्दिरापुरम अंडरपास चौकी क्षेत्र लौधी चौक के आस पास घूम रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

विकास कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी बी-375 गली नं0 2 राजवीर कॉलोनी घडोली एक्सटेन्शन मयूर विहार फेस-3 दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:-**

- चोरी / छीनैती के भिन्न-भिन्न कम्पनी के 08 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

- गिरफ्तार अभियुक्त विकास कुमार के विरुद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में मोबाइल फोन छीनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है व दिल्ली में मोटर साइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

**थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा High Commissioner Sultanate of Oman (Muscat) बताकर फर्जी वीआईपी सुरक्षा व सुविधा प्राप्त करने वाले अभियुक्त का सहयोगी अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 13.03.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी उ0नि0 श्री अशोक कुमार की फर्द के आधार पर High Commissioner Sultanate of Oman (Muscat) बताकर फर्जी वीआईपी सुरक्षा व सुविधा प्राप्त करने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट व लाल नीली बत्ती, नीली नम्बर प्लेट (एम्बेसीज द्वारा प्रयोग में आने वाली) का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध मे थाना कौशाम्बी पर धारा 319(2),318(4),336(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा निवासी 13, नेशनल पार्क रोड, लाजपत नगर 4 थाना अमर कॉलोनी, दिल्ली उम्र करीब 66 वर्ष को दिनांक 13.03.2025 को गिरफ्तार किया गया था। उक्त मुकदमें में दौराने विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्त गुरुप्रीत पुत्र स्व0 स्वर्ण सिंह निवासी खसरा न0 137 गली न0 01 हरिजन बस्ती थाना नेवसराय दिल्ली उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गुरुप्रीत पुत्र स्वर्ण सिंह उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः**- गिरफ्तार अभियुक्त गुरुप्रीत पुत्र स्वर्ण सिंह उपरोक्त ने पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त गुरुप्रीत पुत्र श्री स्वर्ण सिंह कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा को भलिभाँति जानता था । जब उन्हे High Commissioner Sultanate of Oman (Muscat) / ट्रेड कमिश्नर बनाया गया था तो उस जगह अभियुक्त गुरुप्रीत भी मौजूद था, इसके उपरान्त कोसीकलां मथुरा के प्रोग्राम में भी अभियुक्त गुरुप्रीत साथ गया था तथा कुछ प्रोटोकॉल के भेजे गये ईमेलों में अभियुक्त गुरुप्रीत पुत्र श्री स्वर्ण सिंह का मोबाइल नम्बर भी अकिंत है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

गुरुप्रीत पुत्र स्वर्ण सिंह नि0 खसरा न0 137 गली न0 01 हरिजन बस्ती थाना नेवसराय दिल्ली उम्र करीब 50 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त गुरुप्रीत पुत्र स्वर्ण सिंह के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग दर्ज है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।